

प्रेषक,

नन्दन सिंह बिष्ट,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-10

देहरादून: दिनांक २५, अप्रैल, 2018

विषय:-प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक प्रदत्त सत्रांत लाभ के दौरान अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3547/नि०को०प००५०/प०(सा०प०)/2017 दिनांक 15.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्रांत की अवधि को सेवानिवृत्त लाभ एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु गणना में लिये जाने अथवा न लिये जाने के सम्बन्ध में रिथति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि सत्रांत लाभ की अवधि की गणना वेतन वृद्धि एवं सेवानिवृत्ति लाभों हेतु की जा रही है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018' एवं गाध्यगिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 208, दिनांक 03.08.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 03.08.2017 के पश्चात शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के बाट पहला सत्रांत लाभ की अवधि की गणना वेतन वृद्धि तथा सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु नहीं की जायेगी। शिक्षकों को उनकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की तिथि को ही लाभों हेतु नहीं की जायेगी। शिक्षकों को उनकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की तिथि को ही सेवानिवृत्त माना जायेगा। सत्रांत लाभ की अवधि में उन्हें अनिम आहरित वेतन माइनस पेंशन

क्रमशः पृष्ठ-2

-(2)-

के सिद्धान्त के आधार पर भुगतान किया जायेगा। दिनांक 03.08.2017 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के ऐसे प्रकरण जो लम्हित हैं, का निरस्तारण पूर्व की भाँति करने का कष्ट करें।

भवदीय,
३५-५.८.२०१४
(नन्दन सिंह बिष्ट)
उप सचिव

संख्या:- / xxvii(10) / 2018 / 54 / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- एनोआईसी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(नन्दन सिंह बिष्ट)
उप सचिव